

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

71/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा

19.11.2019

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

22.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

- 1-श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार जैन सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सुभाष कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार जैन सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

..... अप्रार्थी

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-श्री प्रमोद कुमार शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2019 को समय 2.12 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार जैन सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार जैन सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सुभाष कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक(Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) जिसके बैच नम्बर एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस

अतिरिक्त जिला मजि
टोंक



पर विक्रेता अनिल कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान में प्लास्टिक के बैग में 500-500 ग्राम के 28 पैकेट धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक (Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) रखे हुये में से 500-500 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन को रू0 193/- अक्षरे एक सौ तिरानवे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक (Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) 500-500 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम को 500-500 ग्राम के पैकेटो को बराबर-बराबर (एक भाग 500 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो में अलग-अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयर टाइट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2217 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2217 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता अनिल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2190 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1652/एक्ट/2019/1171 दिनांक 24.07.2019 अनुसार अनिल कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक (Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक(Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक(Coriander Powder Adi Masale Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर आदि मसाले पॉली पैक(Coriander Powder Adi Masale Poly Pack)का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द्र जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार जैन सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सुभाष कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुसरी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0